TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(262)Pari/Tax/Hqrs/07/9F-167 dated 09.03.2007, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in column number 2 against item (b) of serial number 1 of the table, for the existing expression "Rs. 4000/- + Rs. 50/- for every Rs. one lakh or part thereof of the cost of horse exceeding Rs. 10,00,000.", the expression "Rs. 4000/- + 0.15% of the cost of the horse exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted;

(ii) in column number 2 against item (d) of serial number 2 of the table, for the existing expression "Rs. 5050/- + Rs. 50/- for every Rs. one lakh or part thereof of the cost exceeding Rs. 10 lakh.", the expression "Rs. 5050/- + 0.15% of the cost of the vehicle exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted; and

(iii) the existing proviso appearing below the table shall be deleted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/9G]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/25, dated 31.03.2006, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In clause (2) of proviso to the said notification, for the existing expression "Rs. 25,000", the expression "Rs. 32,000" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/25C]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/1R, dated 14.07.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

(i) the existing clause (C) and entries thereto of serial number 1 of the table shall be substituted by the following, namely:-

"

	(C) Four wheeled vehicles having engine capacity	
	With seating capacity upto 10 including driver	
	(i) upto 800 cc	
	(a) Petrol	4% of the cost of the vehicle
	(b) Diesel	6% of the cost of the vehicle
	(ii) more than 800 cc and upto 1200 cc	
	(a) Petrol	7% of the cost of the vehicle
	(b) Diesel	9% of the cost of the vehicle
	(iii) more than 1200 cc	
	(a) Petrol	8% of the cost of the vehicle
	(b) Diesel	10% of the cost of the vehicle

"

(ii) in clause (7) of proviso, for the existing expression "motor cab or maxi cab", wherever occurring, the expression "motor cab or maxi cab or private service vehicle " shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1U]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by second proviso to section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3, dated 09.03.2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, after the existing serial number 3 and entries thereto, following new serial number 4 and 5 and entries thereto shall be added, namely: -

"4. All categories of Goods Vehicles having Gross Vehicle Weight more than 7500 kg and upto 12000 kg.

5. All Private Service Vehicles with seating capacity upto 12 excluding driver."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27A]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/HQ/09/24C, dated 14.07.2014, the State Government hereby prescribes the rate of cess called Green Tax for different class of vehicles as specified in column number 2, at such time as specified in column number 3 of the table given below, at the rate specified against each in column number 4 thereof, namely:-

Table

S. No.	Class of vehicle	Time	Rate of cess (In Rs.)
1	2	3	4
1	**Non Transport Vehicle**	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
	(A) Two Wheelers		500
	(B) Four Wheeled (Car, Jeep) diesel driven vehicles		
	(i) LMV with engine capacity upto 1500 cc		2000
	(ii) LMV with engine capacity above 1500 cc and upto 2000 cc.		3000
	(iii) LMV with engine capacity above 2000 cc with seating capacity upto 5.		4000
	(iv) LMV with engine capacity above 2000 cc with seating capacity more than 5.		5000
	(C) Other than above non-transport vehicles		1000
2	**Transport Vehicle**	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
	(A) Two wheeled passenger vehicle/ three wheeled passenger and goods vehicle		300
	(B) Other than three wheeled passenger and goods vehicle		
	(i) Light motor vehicle		
	(a) if the age of the vehicle is 6 years or less from the date of its first registration		1000
	(b) if the age of the vehicle is more than 6 years from the date of its first registration.		1500
	(ii) other than light motor vehicle		

	(a) if the age of the vehicle is 6 years or less from the date of its first registration		1500
	(b) if the age of the vehicle is more than 6 years from the date of its first registration.		2000

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/24D]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act 1951 (Act No.11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(266)/pari/tax/Hqrs/2006/8636-79, dated 15.05.2015, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts Special Road Tax payable exceeding Rupees 12500/- per month under section 4-B of the said Act, on the air conditioned passenger vehicles, except sleeper coach having seating capacity more than 12 including driver, subject to the following conditions, namely:-

(i) that the Vehicle shall be registered in the State of Rajasthan in the name of tourist transport operator;

(ii) that the tourist permit of the vehicle shall be issued by competent authority of State of Rajasthan in the name of recognized tourist operator; and

(iii) that the tourist transport operator shall be recognized by Ministry of Tourism, Government of India or Tourism Department, Government of Rajasthan, Indian Association of Tour Operators (IATO) and Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) and approved as such by the Transport Commissioner.

This notification shall have effect from 01.04.2016 and shall remain in force upto 30.04.2018.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts from tax payable under section 4-D of the said Act on vehicles driven solely on electric battery.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27C]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3H dated 01.03.2002, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

(i) in column number 3 against item (b) of clause (1) of serial number 2 of the table, for the existing expression "Rs. 20,000/- + Rs. 50 for every Rs. one lakh or part thereof of cost exceeding Rs. 10 lakh", the expression "Rs. 20,000/- + 0.15% of the cost of the horse exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted; and

(ii) in column number 3 against item (d) of clause (2) of serial number 2 of the table, for the existing expression "8300/- + Rs. 50 for every Rs. one lakh or part thereof of cost exceeding Rs. 10 lakhs", the expression "Rs. 8300/-+0.15% of the cost of the vehicle exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3M]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/22C, dated 14.07.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification,-

(i) in column number 3 against item (a) of serial number 2, the existing expression "(subject to a maximum of Rs. 2.00 lacs)" shall be deleted;

(ii) in column number 3 against item (b) of serial number 2, the existing expression "(subject to a maximum of Rs. 2.00 lacs)" shall be deleted;

(iii) in item (1), in column number 2 of serial number 4, for the existing expression "upto 9", the expression "upto 12" shall be substituted;

(iv) in item (2), in column number 2 of serial number 4, for the existing expression "more than 9", the expression "more than 12" shall be substituted; and

(v) in column number 3 against serial number 6, for the existing expression "9%", the expression "1%" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22D]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/11K, as amended from time to time, dated 31.03.2006, namely: -

AMENDMENT

In the said notification,-

(i) in the existing clause (4) of proviso appearing below the table, for the existing expression "Rs. 25,000", the expression "Rs. 32,000" shall be substituted;

(ii) after the existing clause (7) of proviso appearing below the table, the following new clauses shall be added, namely:-

"(8) the Motor Vehicle specified in sub-clauses (v), (vi), (vii) or (viii) of clause 2 of the table and plying exclusively under a non-temporary fix contract with any industrial or commercial entity, the Special Road Tax shall be payable at the rate of 50 % of the rate as mentioned against each in column number 2, subject to a maximum of Rupees 12,500/- per month.

(9) if any vehicle, specified in clause (8) of proviso is found plying without appropriate permit they shall be liable to pay tax two times of tax as specified in clause (4) of this proviso for such vehicle."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/11N]

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(59)Pari/Tax/Hqrs/05-75280 dated 01.11.2010 and F.6(59)Pari/Tax/Hqrs/05-645 dated 27.04.2012, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, exempts, Two Wheeler Vehicles distributed free of cost under Devnarayan Chhatra Scooty Vitran and Protsahan Yojna or Anusuchit Janjati Chhatra Nishulk Scooty Vitran Yojana or Rajasthan Medhavi Chhatra Protsahan Yojana, from payment of One Time Tax, Green Tax and Surcharge payable under section 4, 4-D and 4-E of the said Act.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27D]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by the sub-rule (1) of rule 4.6 of Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 and in supersession of this department's Notification number F 7 (94) Pari/ Rule/ Hq/94/ 644 Dated 27.04.2012, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts two wheeler vehicles distributed free of cost under Dev Narayan Chhatra Scooty Vitran and Protsahan Yojna or Anusuchit Janjati Chhatra Nishulk Scooty Vitran Yojna or Rajasthan Medhavi Chhatra Protsahan Yojna from payment of registration fee payable under Rule 81 of Central Motor Vehicles Rules,1989.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27E]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(262)परि/टैक्स/एचक्यू/07/9एफ -167 दिनांक 09.03.2007 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 1 की मद (ख) के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "4,000/- + 10,00,000 रु. से अधिक की हार्स के प्रत्येक एक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "4,000/- रु. + दस लाख रु. से अधिक की हार्स की लागत का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 की मद (घ) के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "5,050/- + 10,00,000 रु. से अधिक की लागत के प्रत्येक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "5,050/- रु. + दस लाख रु. से अधिक के यान की लागत का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) सारणी के नीचे आया विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

[सं.प.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/9जी]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/ टैक्स/एचक्यू/95/25 दिनांक 31.03.2006 में इसके द्वारा 01.04. 2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के परन्तुक के खण्ड (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "25,000 रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "32,000 रु." प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/25सी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1आर दिनांक 14.07.2014 में, तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 1 के विद्यमान खण्ड (ग) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

	(ग) इंजन क्षमता वाले चार पहिया यान	
	ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 10 तक की बैठक क्षमता वाले	
	(i) 800 सीसी तक	
	(क) पैट्रोल	यान की लागत का 4 प्रतिशत
	(ख) डीजल	यान की लागत का 6 प्रतिशत
	(ii) 800 सीसी से अधिक और 1200 सीसी तक	
	(क) पैट्रोल	यान की लागत का 7 प्रतिशत
	(ख) डीजल	यान की लागत का 9 प्रतिशत
	(iii) 1200 सीसी से अधिक	
	(क) पैट्रोल	यान की लागत का 8 प्रतिशत
	(ख) डीजल	यान की लागत का 10 प्रतिशत

"

(ii) विद्यमान परन्तुक (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मोटर कैब या मैक्सी कैब'' जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''मोटर कैब या मैक्सी कैब या प्राइवेट सेवा यान'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1यू]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179) परि/ टैक्स/ एचक्यू/ 95/3 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 4 और 5 और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"4. 7500 किग्रा से अधिक और 12000 किग्रा तक सकल यान भार वाले माल यान के समस्त प्रवर्ग।

5. ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की बैठक क्षमता वाले समस्त प्राइवेट सेवा यान।"

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27ए]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/09/24सी दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट यानों के विभिन्न वर्गों के लिए ग्रीन कर के नाम से उपकर की दर, स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा-विनिर्दिष्ट समय पर, उसके स्तम्भ संख्यांक 4 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की दर (रुपये में)
1	2	3	4
1.	**गैर-परिवहन यान**		
	(क) दुपहिया	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय।	500
	(ख) डीजल चलित चार पहिया यान (कार, जीप)		
	(i) 1500 सीसी तक इंजन क्षमता के साथ हल्के मोटर यान		2000
	(ii) 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक इंजन क्षमता के साथ हल्के मोटर यान		3000
	(iii) 5 तक की सीट क्षमता के साथ 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		4000
	(iv) 5 से अधिक सीट क्षमता के साथ 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		5000
	(ग) उपर्युक्त गैर परिवहन यानों से भिन्न		1000
2.	परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर	
	(क) दुपहिया यात्री यान/ तिपहिया यात्री और माल यान		300
	(ख) तिपहिया यात्री और माल यान से भिन्न यान		
	(i) हल्के मोटर यान		
	(क) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या		1000

	कम हो	यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	
	(ख)यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		1500
	(ii) हल्के मोटर यान से भिन्न		
	(क)यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो		1500
	(ख)यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		2000

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू/95/24डी]

राज्यपाल के आदेश से

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(266)परि/टैक्स/एचक्यू/2006/8636-79, दिनांक 15.05.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 12 से अधिक की बैठक क्षमता वाले स्लीपर कोच से भिन्न, वातानुकूलित यात्री यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन 12,500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक संदेय विशेष सड़क कर से, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, इसके द्वारा छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

(i) यह कि यान राजस्थान राज्य में पर्यटक परिवहन संचालक के नाम से रजिस्ट्रीकृत होगा;

(ii) यह कि यान का पर्यटक परमिट मान्यता प्राप्त पर्यटक संचालक के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा; और

(iii) यह कि पर्यटक परिवहन संचालक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स से मान्यता प्राप्त होगा और परिवहन आयुक्त द्वारा इसी रूप में अनुमोदित होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2016 से प्रवृत्त होगी और 30.04.2018 तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27बी]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, केवल विद्युत बैट्री से चलने वाले यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 4-घ के अधीन संदेय कर से इसके द्वारा, छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27सी]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एच दिनांक 01.03.2002 में, इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के खण्ड (1) की मद (ख) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "20,000/- रु. + 10 लाख रु. से अधिक की लागत के प्रत्येक एक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50 रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "20,000/- रु. + दस लाख रु. से अधिक की हार्स की लागत का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के खण्ड (2) की मद (घ) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "8,300/- रु. + 10 लाख रु. से अधिक के प्रत्येक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "8,300/- रु. + दस लाख रु. से अधिक के यान की लागत का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एम]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.07.2014 में, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 2 की मद (क) के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "(अधिकतम रु. 2.00 लाख के अध्यधीन)" हटायी जायेगी;

(ii) क्रम संख्यांक 2 की मद (ख) के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "(अधिकतम रु. 2.00 लाख के अध्यधीन)" हटायी जायेगी;

(iii) क्रम संख्यांक 4 के स्तंभ संख्यांक 2 में, मद (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "9 तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "12 तक" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) क्रम संख्यांक 4 के स्तंभ संख्यांक 2 में, मद (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "9 से अधिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "12 से अधिक" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(v) क्रम संख्यांक 6 के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "9 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22डी]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स /एचक्यू/95/11के दिनांक 31.03.2006 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के नीचे आये परन्तुक के विद्यमान खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''25,000 रु.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''32,000 रु.'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) सारणी के नीचे आये परन्तुक के विद्यमान खण्ड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

''(8) सारणी के खण्ड (2) के उप-खण्ड (v), (vi), (vii) या (viii) में विनिर्दिष्ट और किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक संस्था के साथ गैर-अस्थायी नियत संविदा के अधीन अनन्य रूप से चलने वाले मोटर यानों पर विशेष सड़क कर स्तम्भ संख्यांक 2 में प्रत्येक के सामने यथा वर्णित दर की 50 प्रतिशत की दर पर, अधिकतम 12,500/- रु. प्रति मास के अध्यधीन रहते हुए, संदेय होगा;

(9) परन्तुक के खण्ड (8) में विनिर्दिष्ट कोई यान यदि समुचित परमिट के बिना चलते हुए पाया जाता है तो वे खण्ड (4) में यथा विनिर्दिष्ट कर का दो गुना संदाय करने का दायी होगा।''

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11एन]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(59)परि/टैक्स/एचक्यू/05 दिनांक 01.11.2010 और एफ.6(59)परि/टैक्स/एचक्यू/05 दिनांक 27.4.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना या अनुसूचित जनजाति छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना या राजस्थान मेघावी छात्रा प्रोत्साहन योजना के अधीन मुफ्त वितरित किये जा रहे दो पहिया यानों को, उक्त अधिनियम की धारा 4, 4-घ और 4-ङ के अधीन संदेय एकबारीय कर, ग्रीन कर और अधिभार के संदाय से तुरंत प्रभाव से, इसके द्वारा, छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27डी]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.6 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ 7(94)परि/ नियम/मु0/94/644 दिनांक 27.04.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित मे ऐसा किया जाना समीचीन है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना या अनुसूचित जनजाति छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना या राजस्थान मेघावी छात्रा प्रोत्साहन योजना के अधीन मुफ्त वितरित किये गये दुपहिया यानों को, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, के नियम 81 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27ई]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव